न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 374/2016

अनवान : –

1. मेघसिंह पुत्र जैतसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मलमसिंह पुत्र रावतसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. सुरजनसिंह पुत्र रावतसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. देवीसिंह पुत्र रावतसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. मंगेज कंवर पत्नी मानसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. रोहिताश सिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. भंवरी कंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. प्रेम कंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
8. सावित्री कंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
9. पाल कंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
10. सुमन कंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
11. उदय सिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री अशोक सिंहाग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 09/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 314/305 के ख0न0 147 की 5.13 बीघा, ख0न0 622 की 78.11 बीघा कुल 84.04 बीघा भूमि जिसके वादी व प्रतिवादीगण व माता सरदारी संयुक्त रूप से 1251–3/49 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 314/305 की कुल 84.04 बीघा भूमि में से मानसिंह ने 240–4/7 हिस्से में 224–3/7 हिस्सा बैय कर दी थी व सुरजन सिंह ने 240–4/7 हिस्सा में 120 हिस्सा बैय कर दी थी व शेष 120–4/7 हिस्सा सुरजनसिंह के दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु राजस्व रिकार्ड में 88–25/29 हिस्सा कतई गलत दर्ज किया गया है इस प्रकार से मानसिंह के शेष हिस्सा 16–1/7 हिस्सा दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु राजस्व रिकार्ड में 1251–3/49 हिस्सा में 1/6 हिस्सा कतई गलत दर्ज कर दिया गया है। जमाबंदी में दर्ज सरदारी पत्नी रावतसिंह फोत हो चुकी है तथा उदयसिंह जो उमेंसिंह के खोले चला गया है एवं इन दोनो के नाम दर्ज कुल 41–1/7 हिस्सा विरासतन मेघसिंह वादी, प्रतिवादी संख्या 1 मालमसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 सुरजन सिंह व प्रतिवादी संख्या 3 देवीसिंह के व प्रतिवादी मानसिंह के वारिसान 4 ता 10 बहिब [illegible] वादी 363–4/5 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 के 336–4/5 हिस्सा, [illegible] 112–13/35 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार जमाबंदी संशोधित करवाकर अपना हक हिस्सा [illegible] करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:26:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 11 उदयसिंह पुत्र रावतसिंह ने पारिवारिक समझौता इस आशय का पेश किया की रोही मोजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 268/314 की कुल 21.2970 है. भूमि में से मृतक सरदारी पत्नी रावतसिंह व मानसिंह पुत्र रावतसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वर्तमान में उक्त खाते में दर्ज हिस्से की बजाय वादी के नाम 4.006 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 4.006 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 को 1.6035 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 को 4.007 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 के नाम 1.169 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 11 के नाम 1.265 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि बाबत हम पक्षकारान का राजीनामा पेश हो चुका है। मुताबिक राजीनामा रोही मोजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 268/314 की कुल 21.2970 है. भूमि में से मृतक सरदारी पत्नी रावतसिंह व मानसिंह पुत्र रावतसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वर्तमान में उक्त खाते में दर्ज हिस्से की बजाय वादी के नाम 4.006 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 4.006 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 को 1.6035 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 को 4.007 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 के नाम 1.169 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 11 के नाम 1.265 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। इसी अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राजहित को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:26:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 314/305 के ख0न0 147 की 5.13 बीघा, ख0न0 622 की 78.11 बीघा कुल 84.04 बीघा भूमि जिसके वादी व प्रतिवादीगण व माता सरदारी संयुक्त रूप से 1251–3/49 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी का कथन है कि रोही मोजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 268/314 की कुल 21.2970 है. भूमि में से मृतक सरदारी पत्नी रावतसिंह व मानसिंह पुत्र रावतसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वर्तमान में उक्त खाते में दर्ज हिस्से की बजाय वादी के नाम 4.006 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 4.006 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 को 1.6035 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 को 4.007 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 के नाम 1.169 है. भूमि व प्रतिवादी संख्या 11 के नाम 1.265 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार गया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो मुझें कोई ऐतराज नही है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 द्वारा इकबाल पेश किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 268/314 की कुल 21.2970 है. भूमि में से मृतक सरदारी पत्नी रावतसिंह व मानसिंह पुत्र रावतसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वर्तमान में उक्त खाते में दर्ज हिस्से की बजाय वादी को 316–4/5 हिस्सा यानि की 4.006 है. भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 को 316–4/5 यानि की 4.006 है. भूमि का व प्रतिवादी संख्या 2 को 126–4/5 हिस्सा यानि की 1.6035 है. भूमि का व प्रतिवादी संख्या 3 को 316–4/5 हिस्सा यानि की 4.007 है. भूमि का व प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 को 92–13/35 हिस्सा यानि की 1.169 है. भूमि का व प्रतिवादी संख्या 11 को 100 हिस्सा यानि की 1.265 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:26:14 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 374/2016

अनवान : –

1. मेघसिंह पुत्र जैतसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मलमसिंह पुत्र रावतसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. सुरजनसिंह पुत्र रावतसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. देवीसिंह पुत्र रावतसिह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. मंगेज कंवर पत्नी मानसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. रोहिताश सिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. भंवरी कंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. प्रेम कंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
8. सावित्री कंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
9. पाल कंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
10. सुमन कंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
11. उदय सिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 374 सन 2016 निर्णय दिनांक 09/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा थिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 268/314 की कुल 21.2970 है. भूमि में से मृतक सरदारी पत्नी रावतसिंह व मानसिंह पुत्र रावतसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वर्तमान में उक्त खाते में दर्ज हिस्से की बजाय वादी को 316–4/5 हिस्सा यानि की 4.006 है. भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 को 316–4/5 यानि की 4.006 है. भूमि का व प्रतिवादी संख्या 2 को 126–4/5 हिस्सा यानि की 1.6035 है. भूमि का व प्रतिवादी संख्या 3 को 316–4/5 हिस्सा यानि की 4.007 है. भूमि का व प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 को 92–13/35 हिस्सा यानि की 1.169 है. भूमि का व प्रतिवादी संख्या 11 को 100 हिस्सा यानि की 1.265 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:26:14 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर